न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 560/2018

बनाम अप्रार्थीः–

प्रार्थीः–
1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

1. श्रीमती नाजूदेवी पत्नि श्री डूंगाराम जाति सिरवी निवासी गुंदोज

उपस्थितिः–
1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक- 21-10-2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद गुन्दोज प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 848/12 रकबा 1.06 बिघा किस्म बारानी सोयम भूमि अप्रार्थी के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्णित भूमि खसरा नम्बर 848/12 रकबा 1.06 बिघा किस्म बारानी सोयम अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी द्वारा वर्णित भुमि का बगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये खसरा नम्बर 848/12 रकबा 1.06 बिघा कृषि भूमि पर दुकान बनाकर कृषि भूमि पर अकृर्षि के रूप मे उपयोग किया जा रहा है जिससे कृर्षि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति को नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया है। इस प्रकार ासरा नंबर 848/12 रकबा 1.06 बिघा में अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर से गैर कृर्षि उपयोग किया जाना राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपति एवं उज्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र वाद के रूप में परिणत किया जावे। सरहद मौज़ा गुन्दोज प्रथम मे स्थित खसरा नंबर 848/12 रकबा 1.06 बिघा किस्म बारानी सोयम को सिचाय चक घोषित किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। उपरोक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर अप्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि खसरा नंबर 848/12 रकबा 1.06 बिघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार नाजुदेवी पत्नि श्री डुंगाराम सिरवी के नाम खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर मौके पर अनाधिकृत रूप से दुकान बनाकर गैर कृषि उपयोग हेतु कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को हानि पहुचाकर व परिवर्तित कर दुकान इत्यादि अनुसार उक्त कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि वर्तमान परिस्थियों अनुसार कृषि भूमि नहीं रह गई है जो नियम विरूद्ध है। खातेदार द्वार इसके लिये सक्षम अधिकरी से अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। मौके के वर्तमान हालात अनुसार उक्त भूमि पर पक्का निर्माण करवाया गया है या करवाया जाना सम्भावित है। यदि उक्त खातेदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो उक्त कृषि भूमि पर अनाधिकृत पक्का निर्माण कार्य किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। जिससे कृषि भूमि अकृर्षि नहीं रहेगी।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदार के विरूद्ध आर.टी. एक्ट 1955 की धारा 177 तहत कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे पेश है।

5. वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन पूर्णतया गलत व झूठे अंकित किये गये है जो पूर्णतया अस्वीकार है। गैर सायल का प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गुन्दोज चक प्रथम तहसील पाली के खसरा संख्या 848/12 रकबा 1.06 बीघा बिस्वा किस्म बारानी सोयम की कृषि भूमि पर किसी भी रूप से कोई कब्जा नहीं है एवं गैर सायल द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ कभी भी काम मे नहीं लिया गया है। गैर सायल के विरूद्ध सायल द्वारा प्रार्थी/सायल द्वारा झूठा प्रकरण बनाकर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज करने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी/ गैर सायल की कब्जागुदा एवं खातेदारीशुदा होना भी अस्वीकार है।

6. बहस उभय पक्ष कि सुनी गई।

7. सरकारी पैरोकार ने बहस के द्वौरान प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराकर निवेदन किया कि सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि खसरा नंबर 849/12 रकबा 1.06 बिघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार नाजुदेवी पत्नि श्री डुंगाराम सिरवी के नाम खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर मौके पर अनाधिकृत रूप से दुकान बनाकर गैर कृषि उपयोग हेतु कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को हानि पहुचाकर व परिवर्तित कर दुकान इत्यादि अनुसार उक्त कृषि भूमि का मूल भौतिक स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि वर्तमान परिस्थियों अनुसार कृषि भूमि नहीं रह गई है जो नियम विरूद्ध है। खातेदार द्वार इसके लिये सक्षम अधिकरी से अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। मौके के वर्तमान हालात अनुसार उक्त भूमि पर पक्का निर्माण करवाया गया है या करवाया जाना सम्भावित है।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गुन्दोज चक प्रथम तहसील पाली के खसरा संख्या 848/12 रकबा 1.06 बीघा बिस्वा किस्म बारानी सोयम की कृषि भूमि पर किसी भी रूप से कोई कब्जा नहीं है एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ कभी भी काम मे नहीं लिया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा झूठा प्रकरण बनाकर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज करने योग्य है।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा पाया कि खसरा नंबर 849/12 रकबा 1.06 बिघा भूमी वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार नाजुदेवी पत्नि श्री डुंगाराम सिरवी के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा सरहद गुन्दोज प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 848/12 रकबा 1.06 बिघा किस्म बारानी सोयम भूमि अप्रार्थी की खातेदार नहीं है। उक्त खसरा नंबर में भिन्नता है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के ~~के~~ तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी खसरा नम्बर 849/12 रकबा 1.06 बीघा की है तथा प्रकरण खसरा नम्बर 848/12 रकबा 1.06 बीघा प्रस्तुत किया गया है। अतः खसरा नम्बर में भिन्नता होने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है तथा ऐसे प्रकरण पूर्णतया जांच एवं सत्यापन उपरांत ही न्यायालय मे पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 21-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पाली (राज.)

Scanned by CamScanner